छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक 19.03.2015 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही :--

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये –

1.	प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	अध्यक्ष
2.	प्रो० महेन्द्र सिंह सोढा, पूर्व कुलपति, बी–113, निराला नगर, लखनऊ।	सदस्य
3.	प्रो0 कमल कान्त द्विवेदी, कुलपति, एपीजय सत्य विश्वविद्यालय, सोहना, गुड़गांव,–122103	सदस्य
4.	प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, अधिष्ठाता, एडवांस स्टडीज आफ सोशल साइंसेज	सदस्य
5.	डा0 एन0एन0सी0 अवस्थी, सकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, बी0एन0डी0 कालेज, कानपुर	सदस्य
6.	प्रो0 आर0सी0 कटियार, आचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
7.	प्रो0 नन्दलाल आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग	सदस्य
8.	प्रो0 मृदुला [illegible]रिया, आचार्य, [illegible] विभाग	सदस्य
9.	डा0 नीरज कुमार सिंह, उपाचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
10.	डॉ0 मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षा विभाग	सदस्य
11.	डा0 अन्शू यादव, उपाचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
12.	डॉ0 आमोद कुमार सिंह, प्राचार्य, सी0जी0एन0 कालेज, गोला गोकर्णनाथ, खीरी	सदस्य
13.	डॉ0 बी0आर0 अग्रवाल, प्राचार्या, जुहारी देवी गर्ल्स पी.जी. कालेज, कानपुर	सदस्य
14.	श्री एस. कुमार, अर्थशास्त्र विभाग, बद्री विशाल पी.जी. कालेज, फर्रूखाबाद	सदस्य
15.	डा0 दिव्या तिवारी, वनस्पति विज्ञान विभाग, ए.एन.डी.एन.एन.एम. महाविद्यालय, कानपुर	सदस्य
16.	श्रीमती सन्ध्या मोहन, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
17.	श्री सय्यद वकार हुसैन, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों सहित नव नियुक्त सदस्या डा0 दिव्या तिवारी का स्वागत किया। विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित वित्त अधिकारी श्री धर्मेन्द्र वर्मा को कार्य परिषद में उनके योगदान के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया तथा नव नियुक्त वित्त अधिकारी श्रीमती सन्ध्या मोहन का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मद सं०–1 **कार्य परिषद की बैठक दिनांक 18.10.2014 एवं आपात् बैठक दिनांक 28.11.2014 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।**

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से कार्य परिषद की बैठक दिनांक 18.10.2014 एवं आपात् बैठक दिनांक 28.11.2014 के कार्यवृत्त एवं कार्यपालन आख्या पर सम्पुष्टि प्रदान की।

मद सं०–2 **परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक 28.11.2014 (बिन्दु–01 'क' को छोड़कर) एवं बैठक दिनांक 12.01.2015 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।**

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की सम्पन्न आपात् बैठक दिनांक 28.1.2014 (बिन्दु–01 'क' को छोड़कर) एवं बैठक दिनांक 12.01.2015 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की। (बिन्दु 1क को पूर्व में ही दिनांक 18.10.2014 को स्वीकृति दी जा चुकी है।)

मद सं०–3 **वित्त समिति की बैठक दिनांक 17.03.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।**

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 17.03.2015 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की।

मद सं०–4 विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन न करने वाले महाविद्यालयों पर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

उक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है कि मा0 उच्च न्यायालय के महाविद्यालयों से सम्बन्धित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में एवं अन्य प्रकरणों पर मा0 कुलपति जी द्वारा दिये गये निर्णयों का अनुपालन सम्बन्धित महाविद्यालयों (प्रबन्धतंत्र) द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिससे महाविद्यालयों में पठन पाठन व शैक्षिक अनुशासन बनाये रखने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों के शैक्षिक व गैर शैक्षिक स्टाफ के वेतन भुगतान की समस्या प्रायः उत्पन्न हो जाती है। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्णयों के अनुपालन का निर्देश महाविद्यालयों को दिया गया।

उदाहरणार्थ मा0 न्यायालय के आदेश/आदेशों के अनुपालन में मा0 कुलपति जी द्वारा स्पष्ट आदेश दिये जाने के बावजूद निम्नांकित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे इन महाविद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति एवं शैक्षिक अनुशासन बद से बदतर होता जा रहा है।

1. प्रयाग महिला विद्यापीठ महाविद्यालय, इलाहाबाद।
2. कानपुर विद्यामन्दिर पी0जी0 कालेज, कानपुर।
3. फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली।

अतएव, उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 (1)(a), 13 (1)(b), धारा 37, धारा 57 एवं 58 में निहित प्राविधानों के अधीन विश्वविद्यालय के आदेशों का अनुपालन न करने वाले महाविद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यपरिषद की अनुमति/सहमति/अनुमोदन किये जाने पर विचार हेतु प्रस्तुत है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्य परिषद के सदस्य प्रो0 आर0सी0 कटियार ने निर्णय हेतु स्वयं को कार्यवाही से बाहर रखने का अनुरोध किया, उन्होने यह बताया कि वह सम्बन्धित कानपुर विद्यामन्दिर पी0जी0 कालेज, कानपुर की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष हैं। अतः प्रो0 कटियार के अनुरोध को स्वीकार करने के पश्चात् उनके बैठक से बाहर जाने के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परिषद ने प्रयाग महिला विद्यापीठ महाविद्यालय, इलाहाबाद, कानपुर विद्या मन्दिर पी0जी0 कालेज, कानपुर तथा फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली में विश्वविद्यालय के आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण, शैक्षिक अनुशासनहीनता व वेतन आदि की समस्या (शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों को) उत्पन्न हो जाने के कारण इन महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त करने के लिये शासन को पत्र लिखा जाय तथा धारा 37 के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त की जाये कि धारा 37(8) के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों न प्रारम्भ की जाये एवं उनकी सम्बद्धता क्यों न निलम्बित/समाप्त कर दी जाये। तदनुसार परिषद ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13(1)(a), 13(1)(b), धारा 37, धारा 57 एवं धारा 58 में निहित प्राविधानों के अधीन नोटिस जारी करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।

मद सं०–5 कार्य परिषद द्वारा गठित उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की संस्तुति दिनांक 29.12.2014 एवं दिनांक 26.02.2015 के अनुमोदन पर विचार।

प्रश्नगत कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व प्रो0 कटियार को पुनः बैठक में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया गया। तदोपरान्त कार्य परिषद द्वारा गठित उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की दिनांक 29.12.2014 एवं दिनांक 26.02.2015 द्वारा क्रमशः 04 एवं 09 महाविद्यालयों को प्रदान की गयी सम्बद्धता की पूर्वानुमति पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्य परिषद की बैठक हेतु पूरक कार्य–सूची

1. राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–ई–1106/10–जी.एस./14 दिनांक 07.01.2015, 02.02.2015, 18.02.2015 एवं महामहिम कुलाधिपति को संबोधित डॉ0 सोम नारायण शुक्ल के पत्र दिनांक 01.10.2014 के संदर्भ में दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ को पुनः प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय में पूर्व में स्थापित दीन दयाल शोध केन्द्र कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.01.2006 के निर्णयानुसार निष्क्रिय पड़ा है। विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–सी.एस.जे.एम.यू./वी.सी.सी./09/2015 दिनांक 06.02.2015 द्वारा श्री राज्यपाल कुलाधिपति के प्रमुख सचिव को उक्त वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है।

वर्तमान में दीनदयाल शोध केन्द्र के खाते में कुल ₹ 03 करोड़ (लगभग) की धनराशि उपलब्ध है। शोध केन्द्र को पुनः सक्रिय किये जाने हेतु वर्तमान शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों के दृष्टिगत संशोधित कार्याविधि/नियमावली तैयार की गयी है।

परिषद ने विचारोपरान्त सर्वसम्मति से शोध केन्द्र की संशोधित कार्यविधि/नियमावली का अनुमोदन प्रदान करते हुए दीन दयाल शोध केन्द्र को सक्रिय किये जाने का निर्णय लिया एवं मानद निदेशक की नियुक्ति हेतु मा0 कुलपति को अधिकृत किया गया।

2. **डा0 बृजेश कटियार की जांच रिपोर्ट पर विचार।**

डा0 बृजेश स्वरूप कटियार, चित्रकला विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा एक ही समय में दो संस्थानों (डी.ए.वी. कालेज, कानपुर एवं सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर) में एक ही समय में वेतन लिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की जांच के सम्बन्ध में जांच आख्या दिनांक 21.10.2013 द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है:–

"श्री कटियार दिनांक 01.09.2005 से दिनांक 30.06.2010 तक डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर से उक्त शासनादेश के अन्तर्गत नियुक्ति में उल्लिखित मानदेय तथा इसी अवधि में सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर से दिनांक 01.09.2005 से दिनांक 07.04.2006 तक रू0 6500/– प्रतिमाह तथा दिनांक 07.04.2006 से दिनांक 30.06.2010 तक रू0 12000/– प्रतिमाह को फिक्सड/कन्सोलिडेटेड वेतन साथ–साथ प्राप्त करते रहे।"

इस मामले पर परिषद ने सर्वसम्मति से विचारोपरान्त डा0 बृजेश कटियार को चेतावनी देते हुए प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया।

3. **प्रो0 पी0के0 कुश, आचार्य, अंग्रेजी विभाग के स्थाईकरण/सेवा जोड़ने के प्रकरण पर विचार।**

प्रो0 पी0के0 कुश, एस0बी0बी0 डिग्री कालेज, मथुरा में दिनांक 27.01.1979 से दिनांक 24.09.1987 तक, डी0एस0 कालेज, अलीगढ़ में दिनांक 25.09.1987 से दिनांक 08.06.2010 तक कार्यरत् रहें हैं तथा सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर में दिनांक 09.06.2010 से अद्यतन कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी पूर्व सेवाओं को जोड़े जाने तथा स्थाईकरण की मांग की है। प्रो0 कुश द्वारा अपनी पूर्व सेवाओं के सम्बन्ध में अपनी सेवा पुस्तिका की छायाप्रतियां विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

शिक्षकों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में वर्णित प्राविधान 11.08 के अनुसार यह उल्लेख है कि:–

11.08 If the work and conduct teacher appointed under section 31(2)

(I) Is considered satisfactory, the Executive Council may at the end of period of probation (including the extended period, if any) confirm the teacher,

(II) If not considered satisfactory, the Executive Council may terminate the services of the teacher in accordance with the provisions of section 31 during or on the expiry of the period of probation (including the extended period, if any).

परिषद ने सर्वसम्मति से प्रो0 कुश का स्थाईकरण किये जाने का निर्णय लिया तथा पूर्व सेवायें जोड़ने के सम्बन्ध में उनके मूल अभिलेख मंगाकर कार्यालय से परीक्षण कराने के उपरान्त कार्य परिषद में पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. डा0 अन्शू यादव, डा0 सुधान्शु पाण्डिया, डा0 मुनेश कुमार, डा0 सन्दीप कुमार सिंह एवं डा0 नीरज कुमार सिंह को यू.जी.सी. के अनुसार ग्रेड पे तथा पे बैण्ड–04 दिये जाने के प्रकरण पर विचार।

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–1-32/2006-UII/UI(I) दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान को शासन के पत्र संख्या–2549/सत्तर–2–2009–16(21)/2009टी0सी0 दिनांक 17 जुलाई, 2009 द्वारा लागू किये जाने का आदेश दिया गया है।

पुनः मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–1-36/2009-I-II दिनांक 26 अगस्त, 2010 द्वारा पुनः पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने के आदेश दिये गये है। उक्त पत्र के प्रस्तर–01 (ii) में उल्लिखित है कि "Entry pay of Readers, appointed on or after 1.1.2006 till issue of the University Grants Commission Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010, i.e., 30.06.2010, be fixed at Rs. 23,890 in PB-3 with an academic grade pay of Rs. 8000. This will also apply to Lecturers (Selection Grade) promoted during the above period. Such Readers/Lecturer (Selection Grade) after 3 years will move to minimum of PB-4 with academic grade pay of Rs. 9000."

उक्त के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई भी परिपत्र/शासनादेश निर्गत नहीं है। उक्त परिपत्र/शासनादेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./1573/2012 दिनांक 25 मई, 2012 तथा अनुस्मारक पत्र संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./46/2015 दिनांक 17 जनवरी, 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को विश्वविद्यालय स्तर पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में मार्ग–दर्शन/दिशा–निर्देश मांगा गया है, परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षकों (डा0 अन्शू यादव, डा0 सुधान्शु पाण्डिया, डा0 मुनेश कुमार, डा0 सन्दीप कुमार सिंह एवं डा0 नीरज कुमार सिंह) द्वारा उपाचार्य के रूप में तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर पे–बैण्ड–4 (37400-67000 with AGP of Rs. 9000) की मांग की जा रही है। कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा इसे लागू किए जाने की बात संज्ञान में लाई गई है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्य परिषद के सदस्य डा0 अन्शू यादव, डा0 नीरज कुमार सिंह एवं डा0 मुनेश कुमार ने निर्णय हेतु स्वयं को कार्यवाही से बाहर रखने का अनुरोध किया, क्योंकि सन्दर्भित प्रकरण तीनों सदस्यों से सम्बन्धित था। अतः उक्त सदस्यों के अनुरोध को स्वीकार करने के पश्चात् उनके बैठक से बाहर जाने के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परिषद ने सर्वसम्मति से उक्त ऐसे शिक्षकों को, जिन्होने यू.जी.सी. नियमन/शासनादेश/परिनियम के अनुसार अर्हता पूरी कर ली हो, को तीन वर्ष की सेवा के उपरान्त पे–बैण्ड 37400–6700 ए.जी.पी. 9000 प्रदान किये जाने का निर्णय लिया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित शिक्षकों से अण्डरटेकिंग भी प्राप्त की जाये।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1. विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उनके शोध/शैक्षिक कार्यों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु मार्गदर्शिका/नियमावली के अनुमोदन पर विचार।

प्रश्नगत कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व डा0 अन्शू यादव, डा0 नीरज कुमार सिंह एवं डा0 मुनेश कुमार को पुनः बैठक में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया गया।

तदोपरान्त परिषद ने सर्वसम्मति से विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उनके शोध/शैक्षिक कार्यों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु मार्गदर्शिका/नियमावली पर अनुमोदन प्रदान किया।

2. **विश्वविद्यालय के शिक्षकों को शोध/शैक्षिक कार्यों से सम्बन्धित देश–विदेश में आयोजित होने वाले समारोहों में प्रतिभाग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु मार्गदर्शिका/नियमावली के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद ने सर्वसम्मति से विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, शोध/शैक्षिक कार्यों से सम्बन्धित देश–विदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों में प्रतिभाग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु मार्गदर्शिका/नियमावली पर अनुमोदन प्रदान किया।

अन्त में माननीय कुलपति जी द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो. जे0वी0 वैशम्पायन)
कुलपति/अध्यक्ष